मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक- 07.04.2016 को 05.00 बजे अपराह्न में मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः- पंजी के अनुसार

कार्यावली संख्या-01

कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की दिनांक-18.02.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि ।

निर्णयः- **अनुमोदित।**

कार्यावली संख्या-02

दिनांक- 18.02.2016 को कार्यकारी समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत हैः-

(क) **कार्यावली संख्या-1** के अनुपालन में दिनांक 23.03.2016 को अनुमोदित RFP प्रकाशित की गई थी जिसमें दिनांक 14.03.2016 के 03.00 बजे अपराह्न तक आवेदन समर्पित करना निर्धारित किया गया था। इससे संबंधित आपत्तियाँ सर्मपित करने हेतु दिनांक 05.03.2016 निर्धारित थी। प्राप्त आपत्तियाँ का निराकरण करते हुए Revised Schedule of Events निम्नवत निर्धारित की गई :-

Sl No.	Event	Target Date	Revised Target Date
1	Last Date for Submission of Proposals	14 March 2016	16 March 2016 (3:00 PM)
2	Technical Bid opening	14 March 2016	16 March 2016 (3:00 PM to 4 PM)
3	Presentation by the bidding organisation	19 March 2016	01 April 2016
4	Opening of Financial Bid	28 March 2016	04 April 2016

तद्आलोक में कुल 5 एजेन्सी से प्राप्त निविदा का निर्धारित योग्यता मूल्यांकन (Eligibility Criteria Evaluation) संबधित गठित समिति द्वारा की जा चुकी है। दिनांक 01.04.2016 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण की जा चुकी है। तत्पश्चात् मूल्यांकन की कार्रवाई/ अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

निर्णयः- **इस निदेश के साथ अनुमोदित कि विहित प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय।**

कृ०पृ०उ०

(ख) **कार्यावली संख्या-2** के अनुपालन में HR Mannual के निर्माण के प्रसंग में Tender Finalisation Committee का गठन किया जा चुका है ।

निर्णयः- अनुमोदित।

(ग) **कार्यावली संख्या-3** के अनुपालन में मिशन के कार्यो के निष्पादन हेतु 100 विशेषज्ञ एवं पेशेवर व्यक्तियों को खुली निविदा द्वारा संविदा पर नियोजित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में दिनांक 23.02.2016 को विभिन्न 07 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि दिनांक 08.03.2016 निर्धारित की गई थी। उक्त प्रकाशित विज्ञापन में शारीरिक रूप से विकलांग को अनुमान्य आरक्षण संबंधी अनुमान्यता शामिल करते हुए आवेदन करने की तिथि दिनांक 16.03.2016 तक बढ़ायी गई। निर्धारित अंतिम तिथि तक online 3424 आवेदन एवं Hard copy में 433 आवेदन अर्थात कुल-3857 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदन में से दिनांक- 31.03.2016 तक कुल- 1301 आवेदनों का entry किया जा चुका है।

निर्णयः- इस निदेश के साथ अनुमोदित कि यह संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार यथाशीघ्र गठित चयन समिति द्वारा पूर्ण की जाय।

(घ) **कार्यावाली संख्या-4** के अनुपालन में पेशेवर व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों के संविदा पर नियोजन हेतु चयन समिति का गठन किया जा चुका है।

निर्णयः- अनुमोदित।

(इ) **कार्यावली संख्या-5** के अनुपालन में DFID से आवश्यक निधि के सहयोग प्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया है। DFID द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग से कुल 10 करोड़ रु० बिहार विकास मिशन के Bank खाते में हस्तांतरित करने के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से कुल राशि रु0 7. 5 करोड़ दिनांक-31.03.2016 तक बिहार विकास मिशन के बैंक खाते में प्राप्त हुआ है। समाज कल्याण विभाग से वांछित राशि रु 2.5 करोड़ अप्राप्त है। इस राशि से आरंभिक व्यय माह मार्च , अप्रैल एवं मई 2016 हेतु किया जाएगा।

निर्णयः- अनुमोदित इस निदेश के साथ कि समाज कल्याण विभाग अवशेष राशि बिहार विकास मिशन को शीघ्र उपलब्ध करा दे।

(च) **कार्यावली संख्या-6** के अनुपालन में बिहार विकास मिशन के लिए संयुक्त खाता खोलने एवं संचालन हेतु मिशन के सदस्य सचिव के अतिरिक्त श्री नील कमल, (भा०प्र०से०), विशेष कार्य पदाधिकारी को मनोनित किया गया है(प्रति संलग्न)। बिहार विकास मिशन का Bank खाता, ICICI Bank, Boring Canal Road, Patna में खोला जा चुका है।

निर्णयः- अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-3

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा बिहार विकास मिशन के नव आवंटित नियोजन भवन, पटना के सातवें तल्ला एवं टेरास पर कार्यालय तथा अन्यान्य हेतु निर्माण कार्य, आंतरिक साज-सज्जा/सौंदर्यीकरण (सभी उपस्कर सहित) से संबंधित कार्य का राशि रु०3,03,57000. 00 की अधियाचित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में मिशन के पत्रांक-259, दिनांक- 24.02.2016 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

बिहार विकास मिशन के निबंधित कार्यालय, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैंपस, हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना-23 में मिशन के कार्यालय का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

निर्णयः-अनुमोदित तथा निदेशित कि वांछित राशि, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० को उपलब्ध कराया जाय।

कार्यावली संख्या-4

Selection of an agency for development of Financial, Procurement and administrative delegation Policy, manuals, guidelines, procedures and design of e-procurement system for the Bihar Vikas Mission के RFP के अनुमोदन एवं उसके निष्पादन हेतु निम्नवत समिति गठन का प्रस्ताव : –

1)	विकास आयुक्त, बिहार	–	अध्यक्ष
2)	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
3)	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–	सदस्य
4)	सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन	–	सदस्य सचिव
5)	मिशन निदेशक	–	सदस्य
6)	चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान के निदेशक द्वारा मनोनीत दो Finance (Procurement) विशेषज्ञ		

निर्णयः- इस शर्त के साथ अनुमोदित कि उपरोक्त समिति प्रस्तावित RFP से संतुष्ट हो लें।

कार्यावली संख्या-5

बिहार विकास मिशन में पदस्थापित/कार्यरत/चयनित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि/ मानदेय सहित मिशन कार्यालय के साज-सज्जा (फर्निचर, वाहन, साधित्र सहित) एवं नवगठित बिहार विकास मिशन के विभिन्न मदों में वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु बजट की स्वीकृति का प्रस्ताव।

निर्णयः- बिहार विकास मिशन नियमावली की कंडिका-9 (12) के अनुसार "मिशन के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वित्त प्राक्कलन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन पर शासी निकाय ऐसे संकल्प के बारे में विचार कर सकेगा एवं उसे पारित कर सकेगा" के आलोक में प्रस्तावित बजट, आगामी शासी निकाय की बैठक में विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ रखने हेतु अनुशंसित। तत्काल प्रस्तावित बजट के अनुसार मिशन व्यय कर सकेगा।

<u>कार्यावली संख्या-6</u>

बिहार विकास मिशन नियमावली के कंडिका-14(7) के आलोक में कार्यकारी समिति हेतु उपमिशन वार कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हेतु सर्वप्रथम सात निश्चय संबंधित उप मिशन की समीक्षा उनके Power Point Presentation के आधार पर मिशनवार की गई, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैः-

6(i) पेयजल, स्वच्छता,ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन

➢ निश्चय **'हर घर नल का जल'** की समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि आगामी 5 वर्षों का लक्ष्य यथा 21300 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का चयन उनके जल स्त्रोत के गहन जाँच के उपरांत किया गया है। सम्प्रति 530 बसावट-300 फ्लोराइड गुणवत्ता प्रभावित बसावट एवं 230 लौह गुणवत्ता प्रभावित बसावट में योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में फ्लोराइड गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन हेतु लक्षित किया गया हैं योजना के कार्यान्वयन के क्रम में बसावट के जल स्त्रोत का उपचार अधिष्ठापित जल-उपचार संयंत्र से कर प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। पाइपलाइन बिछाने में GI पाइप्स का उपयोग किया जाता है। योजना के संचालन एवं संयंत्र के व्यापक रख-रखाव हेतु कम-से-कम आगामी पाँच वर्षों तक उक्त (संचालन एवं रख-रखाव) अवयव को योजना के मुख्य घटक में जोड़ने का निदेश दिया गया।

➢ प्रासंगिक निश्चय के क्रियान्वयन की दिशा में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में अपेक्षाकृत कम लक्ष्य यथा **एक लाख पात्र परिवारों** को पाईप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करने के संबंध में पृच्छा किये जाने पर प्रधान सचिव द्वारा सूचित किया गया कि प्रथम वर्ष में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं सांस्थिक सशक्तिकरण से क्षमतावर्द्धन में वृद्धि सुनिश्चित कर आगामी वर्षों में लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी। विभाग द्वारा पाइपलाइन के रूप में PVC Pipes का उपयोग किया जाता है।

➢ योजना के कार्यान्वयन हेतु पाईप पेयजल आपूर्ति की योजना के आदर्श प्राक्कलन के सूत्रण में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के दरों में अंतर के फलस्वरूप कुल संभावित व्यय की राशि में अंतर से संबंधित बिंदु पर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दोनों विभाग के अभियंताओं की संयुक्त बैठक आहुत कर इस बिंदु का निराकरण करने का निदेश प्राप्त हुआ।

➢ इसी क्रम में राज्य में PVC Pipes के बढ़ते उपयोग को दृष्टिपथ रख उक्त पाइप्स की गुणवत्ता की सतत जाँच हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को स्थानीय स्तर पर PVC Pipes की जाँच हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने का निदेश दिया गया।

➢ निश्चय **"घर तक गली-नलियाँ"** की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वार्ड सभा की बैठकों में पूर्व सर्वेक्षित गली-नालियों को चयनित, सूचीबद्ध एवं समेकित कर संबंधित नगर निकाय को प्रेषित किया जाता है जहाँ सभी वार्डों की योजनाओं को समेकित कर स्थायी समिति के माध्यम से पारित कराया जाता है तथा इस प्रक्रिया में औसतन दो माह की अवधि लगती है। सर्वेक्षण कार्य में गली-नाली को चिन्हित करने के क्रम में नजरी -नक्शा भी तैयार किया जाता है।

➢ योजना का उचित लाभ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से नाली की आवश्यकता, नाली का निर्माण एवं नाली की निरन्तर सफाई कराये जाने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त जल एवं ठोस कचरा के ससमय निष्कासन हेतु चयनित स्थलों पर चेम्बर निर्माण एवं ह्यूम पाईप का उपयोग किये जाने का सुझाव भी प्राप्त हुआ ताकि नालियों का सतत् उपयोग संभव हो सके।

➢ निश्चय **"हर घर, बिजली लगातार"** की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, उर्जा विभाग को निर्देशित किया गया कि उर्जा विभाग संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग से विद्युत उपभोक्ताओं का घर-घर सर्वेक्षण टीम बनाकर कराएगा। उक्त क्रम में ऐसे परिवार, जिन्हें अब तक विद्युत कनेक्शन प्राप्त है एवं जिन्हें विद्युत कनेक्शन प्राप्त नहीं है, की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी।

तत्पश्चात उक्त सूची को आधार मान कर उन समस्त परिवारों का विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई करेगा। साथ ही उपरोक्त निर्धारित प्रक्रियानुसार आकड़ों का निरन्तर सुधार एवं अद्दयतीकरण करने का भी सुझाव दिया गया ताकि सरकार के लक्ष्य की व्यवहारिक प्राप्ति हो सके।

➢ निश्चय **"शौचालय निर्माण, घर का सम्मान"** की समीक्षा के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने हेतु कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के संबंध में पृच्छा किये जाने पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि यूनीसेफ, डी०एफ०आई०डी० एवं जीविका जैसे संस्थान इस कार्य में संलग्न हैं। विभाग द्वारा सम्प्रति **2400 सी० एल० टी० एस० मोटिवेटरों** को प्रशिक्षित करने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में **5 सी० एल० टी० एस० मोटिवेटरों** को आगामी 4 माह तक उक्त ग्राम पंचायतों के ODF होने तक रखे जाने के संबंध में सूचना दी गयी। इस प्रकार **चालू वित्तीय वर्ष में 2400 सी० एल० टी० एस० मोटिवेटरों द्वारा 1440 ग्राम पंचायतों को ODF बनाने** की संभावना हैं इस क्रम में आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक सी० एल० टी० एस० मोटिवेटरों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया गया ताकि लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित समय सीमा अंतर्गत की जा सके।

➢ प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमिहीन परिवारों को सरकार के माध्यम से प्राप्त 2 डिसीमल भूमि पर आवास एवं शौचालय निर्माण की व्यवहारिक कठिनाई से संबंधित पहलू पर प्रकाश डालते हुए वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर क्लस्टर

शौचालय का निर्माण कराने का सुझाव दिया गया। सामान्य तौर पर शौचालय के रख-रखाव एवं समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था के व्यापक अभाव के कारण कालांतर में उपयोग नहीं किये जाने के बिंदु के निराकरण के रूप में क्रमशः लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रख-रखाव सुनिश्चित कराने एवं ऐसे शौचालय एवं क्लस्टर की उपयोगिता बनाये रखने हेतु चापाकल के उपयोग का सुझाव दिया।

➢ साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत पूर्व में लाभार्थियों द्वारा स्वयं शौचालय निर्माण करने के उपरान्त कुल सहयोग राशि के रूप में 12,000/- रुपये का भुगतान किये जाने से उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाई को दृष्टिगथ रख लाभार्थियों को 2 किस्त यथा नींव खोदने एवं कार्य समाप्त होने पर क्रमशः 8000/- रुपये एवं 4000/- रुपये का भुगतान किये जाने का निदेश दिया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दो किस्तों के रूप में क्रमशः 7500/- रुपये एवं 4500/- रुपये का भुगतान किया जाता है।

6(ii) युवा उप मिशन

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के निर्माण के संबंध में योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि सभी जिलों का स्थल चयन कर लिया गया है एवं सभी जिलों में निविदा प्रकाशित कर दिया गया हैं 15 सितम्बर 2016 तक Trial run प्रारंभ किया जाएगा एवं 02 अक्टूबर 2016 से जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र क्रियाशील हो जाएगा।

स्वयं सहायता भत्ता :- जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना के बाद इस योजना को प्रारंभ किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र तैयार कर लिया गया है। स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों के आधार पर RTGS /बैंक खाता के माध्यम से राशि आधार पोर्टल से मिलान कर किया जाएगा।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्डः- शिक्षा विभाग इसका Nodal विभाग है। आवेदन प्रपत्र तैयार कर लिया गया है। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना के बाद इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।

प्रत्येक प्रखंड में भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञानः- श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 1200 वर्ग फीट सरकारी जमीन उपलब्ध करायी जाएगी। RFP 15 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा एवं Agency का चयन मई माह के अंतिम सप्ताह तक कर लिया जाएगा।

प्रत्येक जिला में महिला I.T.I का निर्माण :- वर्तमान में राज्य में कुल लक्ष्य के विरूद्ध 16 महिला I.T.I. कार्यरत है। 09 निर्माणाधी/प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सात जिलों में सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। समिति द्वारा संबंधित विभाग को परामर्श दिया गया कि एक सर्वेक्षण करायें कि जो महिलाएं इन I.T.I से उत्तीर्ण /प्रशिक्षित हुई हैं वे प्रशिक्षण से वर्तमान में कितनी लाभान्वित हुई हैं।

प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी I.T.I का निर्माणः- श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि 47 अनुमंडलों में वर्तमान में 55 सरकारी I.T.I है। 18 अनुमंडल में वर्ष 2016-17 में सत्र प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य हैं 18 अनुमंडलों के भूमि चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पूर्व से संचालित 47 अनुमंडलों में से 19 अनुमंडलों में भवन निर्माण प्रक्रियाधीन है। मुख्य सचिव द्वारा निजी I.T.I संस्थानों के सही संचालन हेतु नीति बनाने का सुझाव दिया गया। साथ ही वर्तमान में कार्यरत निजी I.T.Iके निरीक्षण कराये जाने का सुझाव दिया गया ताकि गुणवत्ता बनी रहे तथा फर्जी संस्थानों द्वारा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।

सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालयः- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा 38 लक्ष्य के विरूद्ध 07 कार्यरत एवं 2016-17 में 06 निर्माणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालय में सत्र प्रारंभ होने के संबंध में सूचित किया गया।

सभी जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थानः- विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग द्वारा कुल 38 लक्ष्य के विरूद्ध 19 कार्यरत होने एवं 08 निर्माणाधीन संस्थान में वर्ष 2016-17 से सत्र प्रारंभ होने के संबंध में सूचित किया गया।

सभी सरकारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में:- सूचना एवं प्रावैद्यिकी विभाग द्वारा कुल लक्ष्य 10 विश्वविद्यालय एवं 262 महाविद्यालय के विरूद्ध सूचित किया गया कि संबंधित Consultant की नियुक्ति की जा जा चुकी है। DPR बनाने का कार्य तीन सप्ताह में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है तथा इसी वर्ष दिसम्बर अथवा जनवरी तक योजना का पूर्ण कार्यान्वयन संभावित है।

6(iii) मानव विकास उप मिशन

➢ सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सात निश्चय के तहत **"अवसर बढ़े, आगे पढ़े"** के तहत मानव विकास उप मिशन अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु संबंधित बिंदु, प्रत्येक जिला में जी०एन०एम० स्कूल, पारा मेडिकल संस्थान, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में ए०एन०एम० स्कूल की स्थापना एवं राज्य में पाँच और नये मेडिकल कॉलेजों की सथापना की जानी है।

➢ इसी के आलोक में सात निश्चय से संबंधित बिंदु पर मानव विकास उप मिशन से संबंधित प्रस्तुतीकरण दी गयी, जिसमें विहित प्रपत्र में विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में यह बताया गया कि प्रत्येक जिला में जी०एन०एम० स्कूल के तहत 19, प्रत्येक जिला में पारा-मेडिकल संस्थान के तहत 18, प्रत्येक अनुमंडल में ए०एन०एम० स्कूल की स्थापना के तहत 54, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के तहत 16 एवं राज्य में 5 और नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का लक्ष्य है। इन संस्थानों/कॉलेजों/नर्सिंग

कॉलेजों की स्थापना के तहत वित्तीय वर्ष (2016-17) में सभी का स्थल चयन एवं भूमि उपलब्धता, डी०पी०आर० निर्माण एवं कार्य आवंटन का लक्ष्य रखा गया है।

➢ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस क्रम में अद्यतन जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा जमीन उपलब्धता के संबंध में पूर्व से उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थानों का सर्वेक्षण कराकर इसी वित्तीय वर्ष (2016-17) में 50 प्रतिशत भवनों में निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा। सभी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु जमीन की समस्या नहीं है, क्योंकि इसे मेडिकल कॉलेजों में खोला जाना है।

➢ प्रधान सचिव ने ये भी जानकारी दी कि जिस जिले में अच्छे निजी जी०एन०एम० स्कूल एवं जिस अनुमंडल में वर्तमान में अच्छे निजी ए०एन०एम० स्कूल संचालित है इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान में कुल 19 जी०एन०एम० स्कूल एवं कुल 54 ए०एन०एम० स्कूल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

➢ अध्यक्ष ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य को निदेश दिया कि नये खुल रहे संस्थान के लिए Faculty Member/Academic Staff /Trainer एवं अन्य समानांतर व्यवस्था भी साथ-साथ करें, ताकि भवन निर्माण के बाद सत्र प्रारंभ करने में कठिनाई न हो।

6(iv) उद्योग एवं व्यवसाय उप मिशन

➢ **उद्योग एवं व्यवसाय उप-मिशन से संबंधत कार्यवाही की विषय वस्तुः-** बैठक में उद्योग एवं व्यवसाय उप-मिशन के अंतर्गत सात निश्चय से संबंधित बिन्दु यथा युवाओं के उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट अप कैपिटल हेतु 500 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड के गठन एवं इन्क्यूवेशन सेंटर की स्थापना के संबंध में अध्यक्ष द्वारा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से नीति के निर्धारण एवं उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी माँगी गयी।

➢ बैठक में उपस्थित प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि युवाओं के उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट अप कैपिटल हेतु 500 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल फंड के गठन एवं इन्क्यूवेशन सेंटर की स्थापना से संबंधित स्टार्ट अप पॉलिसी का फाईनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे मंतव्य हेतु SIDBI एवं SEBI को दो दिनों के अंदर भेज देने की बात बताई गयी। तत्पश्चात् पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा एवं सरकार के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाएगा । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पॉलिसी निर्माण संबंधी सभी कार्य मई 2016 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

6(v) आधारभूत संरचना उप मिशन

➢ आधारभूत संरचना उप मिशन के उप मिशन निदेशक द्वारा सात निश्चय से संबंधित

एक बिन्दु **"प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त शेष बचे राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ना"** पर प्रस्तुतीकरण दी गई जिसमें विहित प्रपत्र में विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में यह बताया गया कि राज्य में कुल बसावटों की संख्या 1,08,591 है जिनमें से अब तक कुल 60,284 बसावटों को 55,812 कि०मी० सड़क का निर्माण कर जोड़ा गया है तथा 22,276 कि०मी० सड़क निर्माणाधीन है जिके द्वारा 17,326 बसावटों को जोड़ा जा सकेगा। 2016-17 में शेष बचे बसावटों में से 8,390 बसावटों को 12,780 कि०मी० सड़क का निर्माण कर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

➢ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस क्रम में जानकारी दी गई की PMGSY तथा MMGSY कोर नेटवर्क से छूटे हुए बसावटों का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

➢ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में करवाये जा रहे सर्वे में तत्काल जनसंख्या संबंधी किसी न्यूनतम मानक को निर्धारित किये बगैर सभी बसावटों के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है जिसे अप्रैल माह के अन्त तक समाप्त कर लिया जायेगा। अब तक 6,000 बसावटों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। विभाग द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि 2016-17 के भौतिक लक्ष्य के अनुरूप बजट उपबन्ध नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई कि भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लगभग 11,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

➢ अध्यक्ष ने विश्व बैंक तथा ब्रिक्स बैंक से लोन लिए जाने संबंधी कार्य में हुई प्रगति की जानकारी चाही। विभाग द्वारा बताया गया कि विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है।

6(vi) कृषि उप मिशन

अध्यक्ष द्वारा इसकी विस्तृत समीक्षा आगामी बैठक में करने हेतु निदेशित किया गया।

6(vii) लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप मिशन

लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप मिशन में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को उक्त उप मिशन में अग्रणी (नोडल) विभाग घोषित करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी बैठक में पर्यटन, कला-संस्कृति एवं युवा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभागों को इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया।

कार्यावाली संख्या-7

विभिन्न विभागों द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श ।

निर्णयः- जिन विभागों से प्रतिवेदन अप्राप्त है, उन्हें यथाशीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय।

कार्यावली संख्या-8

सदस्य सचिव कार्यालय में लेखा कार्यो के निष्पादन हेतु लेखापाल की नियोजन/प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव। बिहार विकास मिशन की लेखा विवरणी Tally में किया जाना है। Tally में लेखा विवरणी तैयार करने हेतु एक Tally के जानकार लेखापाल की आवश्यकता है। तदालोक में संविदा के आधार पर मासिक ₹30,000/- (तीस हजार) नियत मानदेय पर Tally के जानकार लेखापाल (जिन्हें Society/ मिशन/संबंधित कार्यालय में Tally लेखा का कम से कम 2 वर्षो का कार्यानुभव हो), के नियोजन का प्रस्ताव है। कार्यहित में मिशन के कार्यो के निष्पादन हेतु तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग से कर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

निर्णयः- अनुमोदित।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

23/4

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सदस्य सचिव

(अंजनी कुमार सिंह)
अध्यक्ष

ज्ञापांकः सं०सं०-01/प्रतिपरिषद-04/2016 — 99 **दिनांक-** 27-04-2016

प्रतिलिपि :-

माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ पुलिस महानिदेशक/ सभी प्रधान सचिव/सचिव /मिशन निदेशक/सभी उप मिशन निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी, सदस्य सचिव कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/16

सदस्य सचिव
बिहार विकास मिशन